हुक्म		हुक्म की तालीम में जारी हुए
9/9/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान पीठासीन [illegible] महोदय, दौरे मे है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/11/24 को पेश हो।	
25/11/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 12 का जवाब पेश नहीं। पूर्व में अवसर दिये जा चुके है। जवाब अवसर बन्द किये जाते है। अप्रार्थीगण सं. 1 से 11 अनुपस्थित। उनको रूक-रूक कर तीन बार आवाजें लगाई गई। परन्तु अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थी दि. 20/1/25 को पेश हो। [signature] 25/11/24	
20/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र धारा 212 R.T. Act दि. 31/01/25 को पेश हो। [signature] 20/01/25	
31/01/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w.o. 39 R 1-2 C.P.C. के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा - 212 RT Act के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिऐ इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर परखना आवश्यक है :- (अ) प्रकरण प्रथम दृष्टया :- जाने प्रार्थीगण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म

द्वारा प्रा० पत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुवे कथन किया कि ग्राम पुरा पटवार हल्का गैलानी की वादग्रस्त आराजी खाता सं० 162 किता 1 रकबा 2.5925 hec., खाता सं० 78 किता 01 रकबा 3.5031 hec खाता सं० 79 किता 01 रकबा 0.8347 hec एवं खाता सं० 80 किता 4 रकबा 1.6187 hec भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक आराजी है जिसका पारिवारिक बटवारा प्रार्थीगण के दादाजी कवरंलाल पुत्र रामा के समय से ही रखा है। उक्त पारिवारिक बटवारे मे खाता सं० 162 रकबा 2.5925 hec प्रार्थीगण के ~~हिस्से~~ दादाजी कवरंलाल के हिस्से मे आई थी। शेष भूमि खाता सं० 78, 79 व 80 कुल किता 6 कुल रकबा 5.9565 hec अप्रार्थीगण के पिता-रामगोपाल व दादा-भैरूलाल के हिस्से आई थी और तभी से सभी अपने-अपने हिस्सो पर शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण खाता सं० 162 के अप्रार्थी 11 के हिस्से 1/9 को छोडकर शेष भाग पर 50 वर्षों से कब्जाकाश्त चले आ रहे है। अतः प्रकरण प्रथम द्रष्टया प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

अभि० प्रार्थीगण की बहस के परिपेक्ष्य मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पुरा की वादग्रस्त आराजी खाता 162 रकबा 2.5925 hec अप्रार्थीगण के खाते दर्ज है जबकि खाता सं० 78, 79 व 80 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के शामलाती खाते दर्ज है जिसमे प्रार्थीगण का संयुक्त हिस्सा क्रमशः 1/3, 1/3, 1/3 दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को दादाजी कवरंलाल पुत्र रामा के समय से family settlement या बटवारा होने से ... खाता सं० 162 मे हिस्सा प्राप्त होने व लगातार कब्जाकाश्त होने का मुख्य कथन किया है, लेकिन ना तो ऐसा family settlement

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही या मय इनीशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
का कोई evidence पेश किया है और ना ही वर्षों से चले आ रहे कब्जा कास्त का साक्ष्य पेश किया है। ना ही वाद्ग्रस्त भूमि खाता स० 162 पर कुऐ खुदवाने का साक्ष्य पेश किया है, ना ही स्वयं द्वारा भूमि सुधार कार्य किये जाने का कोई भी साक्ष्य (any kind of evidence) पेश किया है। अत: साक्ष्य के अभाव में प्रकरण प्रथम द्रष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। (ब) सुविधा का सन्तुलन :- अप्रार्थीगण खाता स० 162 किता 1 रकबा 2.5925 hac के रिकार्डेड सहखातेदार कृषक दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रकरण प्रथम द्रष्टया साबित नहीं है। अत: बिना किसी strong evidence के रिकार्डेड खातेदार के विरुद्ध प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से रिकार्डेड खातेदारों को अत्याधिक असुविधा होगी। अत: सुविधा सन्तुलन भी साक्ष्य के अभाव में प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। (स) अपूरणीय क्षति :- प्रकरण प्रथम द्रष्टया एवं सुविधा का सन्तुलन दोनो प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है। अप्रार्थीगण - रिकार्डेड खातेदार - अपनी भूमि का रहन् बेचान आदि अंतरण करने के अधिकारी है जब तक कानूनी रूप से प्रतिकूल तथ्य साबित नहीं हो जाते अत: प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति का ... साबित नहीं है। अत: उपरोक्त ... पर प्रार्थीगण का प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली ... अभाव फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:07:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner